ग्राम पंचायत मलां, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मलां, विकास खण्ड नगरोटा बगवां जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री वासुदेव	23-01-11 से 23-09-14
2.	श्री परमजीत सिंह	26-12-14 से 22-01-16
3.	श्रीमती कुसम लता	23-01-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कर्ण सिंह	से 20-9-16
2.	श्री केहर सिंह	21-09-16 से 05-02-17
3.	श्री वीन सिंह	06-02-17 से 06-7-17

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्र0सं0	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तशेष में भारी अन्तर	8.50
2 .	8	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना।	1.73

3 .	8.1	अनुदानों का अवरोधन।	19.56
4.	9	बिना बिल/वाउचर के अनियमित व्यय	2.32
5	10	निर्माण कार्यों पर स्वीकृत/प्राप्त से अधिक व्यय करना।	1.08
6.	11	459 बैग सीमेंट के ख़राब होने के कारण हानि	1.17
7.	12	14वें वित्त आयोग से सोलर लाइट की खरीद पर अधिक व्यय।	2.92
8.	13	औपचारिकता को पूर्ण किए के बिना खरीद करने	5.95
9.	14	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	6.81

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत मलां, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01-02-2018 से 03 -02-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय मलां में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02 /15 ,03/16 व 03/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 11/14,09/15 व 09/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदनका प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत मलां , विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:42 दिनांक 03-02-18 द्वारा सचिव,पंचायत मलां से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत मलां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत मलां के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	135411	111471	246882	43581	203301
2015-16	203301	90863	294164	40571	253593
2016-17	253593	72780	326373	133368	193005

{ख} अनुदान :-ग्राम पंचायत मलां के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट - 1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	123122	3812229	3935351	3625440	309911
2015-16	309911	5292286	5602197	4207314	1394883
2016-17	1394883	4526038	5920921	3965205	1955716

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	KCCB nagrota bagwan	20012008145	1236456
2.	HDFC nagrota bagwan	50100038129663	5946
3.	HDFC nagrota bagwan	50100008421563	18562
4.	HDFC nagrota bagwan	50100026970692	544702
5.	UCOBANK malan	12650110030226	1191757
6.	UCOBANK malan	12650100002268	969
		Cash in hand (general)	724
		Cash in hand (mnrega)	61
		Total	**2999177**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :

(ख)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 2999177

(क)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख) :- ₹ 2148721

अन्तर ₹850456

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के परिणामस्वरूप अन्तशेष में ₹8.50 लाख का भारी अन्तर:-

ग्राम पंचायत **मलां** की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था ।वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-17 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में **₹850456** का अन्तर था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अतिशीघ्र इस अन्तर का मिलान किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए तथा भविष्य में

नियमानुसार पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को तैयार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को दो भागों में एक आय तथा दूसरा व्यय के लिए बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.06 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व (मोबाइल टावर की फीस के रूप में) ₹6000 की वसूली शेष थी , जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए ।

मोबाइल टावर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	4000	4000	0	4000
2015-16	4000	4000	8000	4000	4000
2016-17	4000	4000	8000	2000	6000

6.1 गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे: –

गृहकर से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवयश्क जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि का गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः उक्त के अभाव में गृह-कर से प्राप्त आय की जांच नहीं की जा सकी, जोकि एक गम्भीर मामला है। अत : नियमानुसार गृहकर के मांग व प्राप्ति का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 रसीद बुको को प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा चयनित माह की रसीद बुकें अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में प्राप्त आय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: रसीद बुकों को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

8 प्राप्त अनुदान राशियों से ₹1.73 लाख का अधिक व्यय :-

पंचायत सचिव **मलां** द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान MPLAD,RAY,VKVNY,IAY,VHSC,MMAGY शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः **₹21948**, ₹15000, ₹23224, ₹89077, ₹20000, ₹3405 की राशियां अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों से प्राप्त अनुदान से **₹172654** अधिक खर्च किए गए जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

8.1 अनुदान ₹ 19.56 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान ₹1955716 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 बिना बिल/वाउचर के ₹2.32 लाख का अनियमित व्यय :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 99(4) तथा इसी अधिनियम की धारा 135 व 136 व हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10(2) के उपवन्धों के अध्यधीन,सचिव या पंचायत सहायक ग्राम पंचायत का लेखापाल होगा जो ग्राम पंचायत के लेखों से या में धन/सदायों का प्रत्याहरण या निक्षेप करने

को सक्षम व रिकार्ड के लिए उत्तरदायी होगा। अंकेक्षण के दौरान रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹232100 के व्यय के बिल/वाउचर जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुतु नहीं किए गए।

क्रम सं	रोकड़ बही पृष्ठ सं	दिनांक	प्रमाणक सं	राशि	विवरण	टिप्पणी
1	63	16-04-14	07	8300	रेत,बजरीढुलाई	प्रमाणक उपलब्ध नहीं
2	65	20-05-14	18	14856	-------	यथोपरि
3	65	20-05-14	19	450	रिचार्ज डोंगल	यथोपरि
4	68	22-07-14	40	1000	रिचार्ज डोंगल	यथोपरि
5	69	04-08-14	41	32940	------	यथोपरि
6	74	05-11-14	55	9868	मस्टरोल	यथोपरि
7	78	05-01-15	88	900	रिचार्ज डोंगल	यथोपरि
8	80	05-02-14	102	1000	स्टेशनरी	यथोपरि
9	82	21-03-15	128	900	रिचार्ज डोंगल	यथोपरि
10	98	05-01-16	68	6503	जलपान बैठके	यथोपरि
11	6	05-07-16	26	1680	वर्दी चोकीदार	यथोपरि
12	88	21-04-15	11	10000	-------	यथोपरि
13	90	01-06-15	15 व 16	30000	ग्राम सभा को जारी राशि	यथोपरि
14	91	06-07-15	26	3360	जलपान व्यय	यथोपरि
15	96	05-10-15	53,55	34743	बिजली बिल	यथोपरि
16	212	12-12-14	299 से 307	75600	रेत,बजरी	यथोपरि
			जोड़	**232100**		

उक्त के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना सं 40 दिनांक 03-02-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को अवगत करवाया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सचिव ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जोकि एक गंभीर मामला है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है व उक्त व्यय वाउचरो को जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की

जाए अन्यथा दोषी से उक्त राशि को वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यो पर स्वीकृत/प्राप्त राशि से ₹1.08 लाख का अधिक खर्च:-

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि में निर्माण कार्यों पर स्वीकृत राशि/प्राप्त राशि से ₹108135 अधिक खर्च किए गए जोकि एक गम्भीर मामला है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना सं 41 दिनांक 03-02-18 द्वारा पंचायत सचिव को अवगत करवाया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। यदि इन निर्माण कार्यों की कोई स्वीकृत राशि सरकार/विभाग से प्राप्त करना शेष है तो राशियों को तुरन्त प्राप्त कर प्रतिपूर्ति की जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बंधित से की जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

निर्माण कार्य का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	अधिक व्यय
पक्का रास्ता भगवान के घर से प्रताप राणा के घर तक	12600	13400	800
ढंगा प्रवीन कुमार के घर के पास	30000	52289	22289
निर्माण रास्ता में रोड से gms बछेठली	10000	11418	1418
निर्माण लिंक रोड जोगल खड्ड से अम्बल बस्ती	------	19928	19928
निर्माण लिंक रोड चाह्डी से गुज्जर बस्ती	-----	20000	20000
निर्माण पानी की टंकी मन्दिर के पास मलां	20000	29607	9607
निर्माण पानी की टंकी वार्ड-6	20000	29943	9993
निर्माण पानी की टंकी हरिजन बस्ती	----	4960	4960
निर्माण L/R मंजीत व ओंकार के घर तक	30000	37844	7844
निर्माण L/R NH से मंजू के घर तक	30000	41296	11296
		जोड़	**₹108135**

11 सीमेंट के 459 बैग ख़राब होने के फलस्वरूप₹1.18 लाख की हानि :-

मनरेगा निधि सीमेंट स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ सं 150 पर 459 बैग सीमेंट के शेष थे व इन सीमेंट बैग का प्रयोग निर्माण कार्यों हेतु नहीं किया जा रहा है जिसके बारे में सचिव ग्राम पंचायत ने ऑडिट को अवगत करवाया कि उक्त

सीमेंट के 459 बैग उपयोग हेतु नहीं है व सभी सीमेंट बैग खराब हो चुके है **{परिशिष्ट-2}** जोकि एक गंभीर मामला व इस प्रकार पंचायत को ₹117504 की हानि हुई है। अतः उक्त मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। अत: 459 बैग ख़राब होने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस हानि का सीमेंट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उक्त राशि को दोषी से वसूला जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

12 सोलर लाइटों की खरीद पर ₹2.92 लाख का अनियमित व्यय व अन्य अनियमितताएं बारे :-

14वें वित्त आयोग की रोकड़ बही की जांच में यह पाया गया कि वाउचर सं 87 व 88 माह 03/17 (पृष्ट 24) ₹456800 द्वारा 18 नई सोलर लाइटो की खरीद व 25 सोलर लाइटो की मुरम्मत के लिए भुगतान किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) उक्त खरीद खुले बाजार से की गई जबकि उक्त खरीद हिम उर्जा से की जानी अपेक्षित थी अत: खुले बाजार से खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) सचिव, पंचायती राज के पत्र सं :पी०सी०एच०(10)1/2013(एफ०एफ०सी०)-37299-388 दिनांक 31-12-15 के मद 5 अनुसार सोलर लाइटों के लिए 14वें वित्त आयोग से कुल प्राप्त राशि का 10% ही व्यय किया जाना अपेक्षित था। परन्तु जाँच में पाया गया कि पंचायत को 14वें वित्त आयोग अनुदान से माह 3 /17 तक कुल ₹1648609 प्राप्त हुई व सोलर लाइट की खरीद हेतु 10% ₹164861 ही व्यय की जानी थी जबकि पंचायत द्वारा ₹456860 की राशि व्यय की गई जो अनियमित व आपत्तिजनक था। इस प्रकार सोलर लाईट की खरीद पर ₹291939 (₹456800-164861) अधिक व्यय व्यय किया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा सम्बंधित से राशि वसूल कर उक्त अनुदान में जमा की जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

(iii) सचिव पंचायती राज के उक्त पत्र की मद 5 के अनुसार सोलर लाइट की खरीद तभी की जा सकती थी अगर पूर्व में किसी भी निधि/स्कीम से सोलर लाइटों की खरीद नहीं की गई हो। अंकेक्षण द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि गत वर्षो में भी 25 सोलर लाइट की खरीद पहले भी की जा चुकी थी। अत: उपरोक्त शर्त के विपरीत सोलर लाइट की दो बार खरीद करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹ 5.95 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹594666**

के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 क्रय की गई ₹6.81 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/14 से 3/17 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4** पर दिए गए विवरणानुसार **₹680754** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः नियमानुसार क्रय सामग्री की भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए ।

15 क्रय निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -4** के अनुसार बोल्डर की **65 ट्राली** की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु बोल्डर की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके अभाव में बोल्डर की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जो की एक गम्भीर मामला है। अत: बोल्डर की मात्रा के स्थान पर केवल ट्राली दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

16 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार इनका रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1	मोबाइल टावर रजिस्टर
2	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
5	रसीद बुक रजिस्टर
6	खाताबही
7	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर

17 पंचायत निधि को कोपरेटिव बैंक के स्थान पर अन्य बैंक में जमा करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनांक 31-03-1 7 को ग्राम पंचायत **मलां** द्वारा ₹1760967 PNB, HDFC बैंक नगरोटा के बचत खातों में जमा की गई है जबकि विशेष सचिव(वित्त)के पत्र संख्या :फिन-आईएफ(ए)1-68/83-II दिनांक 27-12-14 के अनुसार पंचायत निधि केवल कोपरेटिव बैंक में ही जमा करना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा निधि को HDFC बैंक में जमा करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में पंचायत निधि को कोपरेटिव बैंक में ही जमा करवाया जाये।

18 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

20 **लघु-आपति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

21 **निष्कर्ष** :- लेखो के रख रखाब में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15) (vi)192/2018 खण्ड–1–4388–4391 दिनांक 18.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत मलाँ, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881